



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240270
CG-DL-E-15112022-240270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5066]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944

No. 5066]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5286(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 37 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिश के बाद अधिनियम की "अनुसूची" में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :

प्रविष्टि (5) के बाद, प्रविष्टि (6) जोड़ी जाएगी;

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेंद्रम द्वारा प्रदान की गई सभी चिकित्सा अर्हताएं।

[फा. सं. वी.11011/01/2022-एमईपी (भाग-I)]

डॉ. सचिन मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 37 of the National Medical Commission Act, 2019, the Central Government after recommendation of the National Medical Commission, hereby makes the following amendment in “The Schedule” of the Act, namely:

After entry (5), entry (6) shall be added;

All medical qualifications granted by Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology (SCTIMST), Trivandrum.

[F. No. V.11011/01/2022-MEP(Part-I)]
Dr. SACHIN MITTAL, Jt. Secy.